

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 39/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग लि. (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाइनेन्स कार्पोरेशन लि.) पंजीकृत
कार्यालय -वार्डन हाउस द्वितीय तल सर पी एम रोड, फार्ट, मुम्बई तथा शखा कार्यालय 302/5,
तृतीय तल, जयपुर टावर, एम आई रोड, जयपुर राजस्थान जरिये प्राकृति अधिकारी मुकेश यादव

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स परिधि एन्टरप्राइजेज

पता :- एफ-89, करतारपुरा इण्डस्ट्रीज एरिया, 22 गोदाम, जयपुर।

2. श्री लक्ष्मण डागा,

3. श्रीमती प्रीति डागा,

पता :- डी-17, आशापूर्णा एम्पायर, देव स्कूल के सामने, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation

and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002.



उपस्थित

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी परिधि एन्टरप्राइजेज के स्वामित्व की (1.) Semi High Speed Computerised Embroidery Sewing Machine with Triple Servo Motor (2.) 13 Flat Head Embroidery Machine 9 Colour (3.) 20 Flat Head Embroidery Machine 9 Colour (4.) 25 Flat Head Embroidery Machine 6 Colour, AP Model no. 1 को हाईपोथिकेंटेड कर दिनांक 28.10.2016 को 49,11,660/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.04.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

मजिस्ट्रेट
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 49,11,660/-रुपय का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति हाईपोथिकेट कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 25,46,771/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.04.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी परिधि एन्टरप्राइजेज के स्वामित्व की (1.) Semi High Speed Computerised Embroidery Sewing Machine with Triple Servo Motor (2.) 13 Flat Head Embroidery Machine 9 Colour (3.) 20 Flat Head Embroidery Machine 9 Colour (4.) 25 Flat Head Embroidery Machine 6 Colour, AP Model no. 1 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने का आदेश आज दिनांक 15.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



(सज्जन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर